

Reply of the Calling Attention Notice No. 55 admitted on 28.12.2022.

INDEX

Particulars	Page No.
Calling Attention Notice No 55 admitted on 28 12.2022	1
Reply in English	2-4
Reply in Hindi	5-7

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 के द्वारा, श्री जगदीश नायर, विधायक, श्री दीपक मंगला विधायक, श्री प्रवीण डागर विधायक एवं श्री राजेश नागर, विधायक दिल्ली से आ रहे केमिकल या गन्दा पानी आने से आगरा नहर का पानी दूषित होने के कारण हरियाणा के फरीदाबाद व पलवल जिले के गांवों में कई प्रकार की बिमारियां फैलने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि आगरा नहर दिल्ली से यमुना नदी से आगे चलकर हरियाणा के कुछ हिस्सा फरीदाबाद (हरियाणा राज्य) से गुजरती है और यह नहर हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल जिले के गांव में से गुजरती है। आगरा नहर में दिल्ली से आ रहा केमिकल या दिल्ली का गन्दा पानी गुजरता है। इस पानी के कारण हमारे हरियाणा के लोगों को कैंसर, अस्तमा, खुजली, एलर्जिक बीमारी फैल रही हैं। इसके द्वारा गुजरने वाले पानी से किसान अपने खेतों में प्रयोग में लेता हैं। जिसके कारण बीमारियों का फैलने का पूरा खतरा बना हुआ हैं। अतः माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते है कि इस पर सदन में चर्चा करवाई जाये तथा लोक हित में इस पर सुधारणात्मक निर्णय लिया जाए।

दिनांक 28.12.2022

के लिए स्वीकृत

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 के द्वारा, श्री जगदीश नायर, विधायक, श्री दीपक मंगला विधायक, श्री प्रवीण डागर विधायक एवं श्री राजेश नागर, विधायक दिल्ली से आ रहे केमिकल या गन्दा पानी आने से आगरा नहर का पानी दूषित होने के कारण हरियाणा के फरीदाबाद व पलवल जिले के गांवों में कई प्रकार की बिमारियां फैलने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते है कि आगरा नहर दिल्ली से यमुना नदी से आगे चलकर हरियाणा के कुछ हिस्सा फरीदाबाद (हरियाणा राज्य) से गुजरती है और यह नहर हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल जिले के गांव में से गुजरती है। आगरा नहर में दिल्ली से आ रहा केमिकल या दिल्ली का गन्दा पानी गुजरता है। इस पानी के कारण हमारे हरियाणा के लोगों को कैंसर, अस्तमा, खुजली, एलर्जिक बीमारी फैल रही हैं। इसके द्वारा गुजरने वाले पानी से किसान अपने खेतों में प्रयोग में लेता हैं। जिसके कारण बीमारियों का फैलने का पूरा खतरा बना हुआ हैं। अतः माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते है कि इस पर सदन में चर्चा करवाई जाये तथा लोक हित में इस पर सुधारणात्मक निर्णय लिया जाए।

Sh. Manohar Lal, Chief Minister, Haryana

Sir,

REPLY OF CALLING ATTENTION NO. 55

1. The Agra Canal originates from river Yamuna at Okhla Barrage in Delhi territory. The canal flows parallel upto Sector-8 Faridabad, after which it flows in eastern direction and reaches the border of Uttar Pradesh near Village Karman.
2. The status of pollutants in terms of BOD in Agra canal at Badarpur border in district Faridabad during the year 2022 ranges from 24 to 32 milligram per litre. This indicates that the river is getting badly polluted in the Delhi territory.
3. The Yamuna River enters Delhi from Haryana at Village Palla and covers a stretch of 52 KM from Palla to Jaitpur in NCTD. The river re-enters the State in Faridabad district, near Okhla head. The river receives partially treated/ untreated industrial/ sewage effluents through 62 drains in Delhi territory and as a result, the water gets badly polluted. There are 62 drains in the territory of Delhi which have outfall into river Yamuna and 3 no. drains of Delhi area have outfall into Agra Canal. In addition, the discharge of Okhla STP has outfall in Agra Canal.
4. Besides this, the untreated effluent of 45 MLD from Faridabad has outfall into Agra Canal.

5. The quality of Yamuna River is being monitored by the Haryana State Pollution Control Board at Wazirabad, Delhi border. The Bio-chemical Oxygen Demand (BOD) in the river ranges from 1.2 to 4.8 milligram per litre in year 2022 against the permissible limit of 3.0 milligram per litre before entering Delhi. This indicates that Haryana is giving clean Yamuna water to Delhi.
6. The NCT of Delhi has installed STPs of 2874 MLD capacity but generating sewage of 3491 MLD. However, capacity utilization of STPs is 2714 MLD, indicating unsewered area. Thus, Delhi has been generating sewage in excess of their installed capacity of STPs. The sewage is being discharged largely untreated into river Yamuna through the network of these drains.
7. The Government of NCT, Delhi has chalked out a detailed strategy and have submitted an Action Plan. The Action Plan, inter alia, includes augmentation, modernization, modification of existing STPs and CETPs, installation of new STPs/CETPs so as to capture domestic and industrial sewage & effluent of the entire area of NCT, to take steps to prevent dumping of any kind of solid waste into river Yamuna, be it construction debris or remains of pooja material/offerings or municipal waste etc.

Steps taken by the State of Haryana

1. Environment Department, Govt. of Haryana vide its order dated 23.07.2018 constituted the committee with MLAs of district Gurugram, Mewat, Faridabad & Palwal as members and MS, HSPCB as Member Convener. Besides, ACS, Environment and PS, Irrigation have also been designated as Members. The meetings of the committee have been held on 12.12.2018, 17.01.2019, 15.09.2020, 18.08.2021 and 11.05.2022. Lastly, it was decided that a committee of Senior Officers of PHED, ULBD, Irrigation, HSPCB be formed to suggest the treatment method/ technology to treat the polluted water of Gurugram and Agra Canal. After examination, the committee has observed that the treatment cost of the polluted water of drain shall range from Rs. 1900 to 3300 per million litres which is very high cost. The expression of interest in this regard was to be executed by PHED but the same did not proceed further due to high cost.
2. The State Govt. has also prepared Yamuna Action Plan which envisages the control of pollution in all the 11 drains of Haryana which carry treated/ untreated effluent into river Yamuna. With the control of pollution in drains, the polluted effluent shall not enter into river Yamuna, from which Agra Canal originates.
3. A detailed Action Plan has been prepared and is being reviewed at the level of Hon'ble CM and the Chief Secretary regularly. All the Stakeholder Departments involved in treatment of sewage and industrial effluent such as PHED, ULBD, HSVP, HSIIDC and GMDA participate in the meeting to submit the action taken report regarding implementation of the Action Plan. The action plan involves construction/ upgradation of the existing STPs/ CETPs, laying of sewage and interception of sewage from unapproved areas, regular monitoring of water

polluting industries by HSPCB and taking strict legal actions against such industries etc.

4. Hon'ble CM, Haryana has also written DO letter to the Chief Minister, Delhi on 04.02.2019 regarding control of pollution in river Yamuna and Gurugram Canal.

Conclusion:-

With implementation of action plan, there is a improvement in the water quality of Agra Canal over the years which can be depicted in terms of Bio-chemical Demand parameter as under:-

Sr. No.	Year	BOD mg/ltr
1	2017	40
2	2018	29
3	2019	24
4	2020	22
5	2021	19
6	2022	27

The Action Plan is being reviewed by Hon'ble CM, Haryana very closely and as a result the problem is expected to be resolved in near future. An interstate meeting with the Hon'ble Chief Minister of the neighbouring states is also planned to be held shortly.

स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 के द्वारा, श्री जगदीश नायर, विधायक, श्री दीपक मंगला विधायक, श्री प्रवीण डागर विधायक एवं श्री राजेश नागर, विधायक दिल्ली से आ रहे केमिकल या गन्दा पानी आने से आगरा नहर का पानी दूषित होने के कारण हरियाणा के फरीदाबाद व पलवल जिले के गांवों में कई प्रकार की बिमारियां फैलने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि आगरा नहर दिल्ली से यमुना नदी से आगे चलकर हरियाणा के कुछ हिस्सा फरीदाबाद (हरियाणा राज्य) से गुजरती है और यह नहर हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल जिले के गांव में से गुजरती है। आगरा नहर में दिल्ली से आ रहा केमिकल या दिल्ली का गन्दा पानी गुजरता है। इस पानी के कारण हमारे हरियाणा के लोगों को कैंसर, अस्तमा, खुजली, एलर्जिक बीमारी फैल रही हैं। इसके द्वारा गुजरने वाले पानी से किसान अपने खेतों में प्रयोग में लेता हैं। जिसके कारण बीमारियों का फैलने का पूरा खतरा बना हुआ हैं। अतः माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं कि इस पर सदन में चर्चा करवाई जाये तथा लोक हित में इस पर सुधारणात्मक निर्णय लिया जाए।

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

सर,

उत्तर

1. आगरा नहर दिल्ली क्षेत्र में ओखला बैराज पर यमुना नदी से निकलती हैं। नहर सेक्टर-8 फरीदाबाद तक समानान्तर बहती हैं, बाद में आगरा नहर पूर्व दिशा में बहती है और नजदीक गांव करमन, उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुँचती है।
2. वर्ष 2022 के दौरान जिला फरीदाबाद में बदरपुर सीमा पर आगरा नहर में बीओडी के संदर्भ में प्रदूषकों की स्थिति 24 से 32 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है। यह दर्शाता है कि नदी दिल्ली क्षेत्र में बुरी तरह से प्रदूषित हो रही है।
3. यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली में पल्ला गांव में प्रवेश करती है और एनसीटीडी में पल्ला से जैतपुर तक 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नदी ओखला हेड के पास फरीदाबाद जिले में हरियाणा राज्य में फिर से प्रवेश करती है। नदी दिल्ली क्षेत्र में 62 नालों के माध्यम से आंशिक रूप से उपचारित/अनुपचारित औद्योगिक/सीवेज एफ्लूएन्ट प्राप्त करती है और इसके परिणामस्वरूप, पानी बुरी तरह प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली के क्षेत्र में 62 नाले हैं जो यमुना नदी में गिरते हैं और 3 नाले दिल्ली क्षेत्र में आगरा नहर में गिरते हैं। इसके अलावा, ओखला एसटीपी का डिस्चार्ज आगरा कैनल में गिरता हैं।

4. इसके अलावा, फरीदाबाद से 45 एमएलडी का अनुपचारित एफ्लूएन्ट आगरा नहर में बहता है।

5. दिल्ली की सीमा पर वजीराबाद में, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना नदी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। नदी में बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) वर्ष 2022 में दिल्ली में प्रवेश करने से पहले 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर की अनुमेय सीमा के मुकाबले 1.2 से 4.8 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच रही है। इससे संकेत मिलता है कि हरियाणा दिल्ली को यमुना का साफ पानी दे रहा है।

6. दिल्ली राज्य ने 2874 एमएलडी क्षमता के एसटीपी स्थापित किए हैं लेकिन 3491 एमएलडी का सीवेज पैदा किया जा रहा है। हालांकि, केवल 2714 एमएलडी क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है। जो बिना सीवर वाले क्षेत्र को दर्शाता है। इस प्रकार, दिल्ली एसटीपी की अपनी स्थापित क्षमता से अधिक सीवेज पैदा कर रहा है। इन नालों के नेटवर्क के माध्यम से काफी हद तक सीवेज को अनुपचारित यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है।

7. एनसीटी, दिल्ली सरकार ने एक विस्तृत रणनीति तैयार की है और एक कार्य योजना प्रस्तुत की है। कार्य योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा एसटीपी और सीईटीपी में वृद्धि, आधुनिकीकरण, संशोधन, नए एसटीपी/सीईटीपी की स्थापना शामिल है ताकि दिल्ली के पूरे क्षेत्र के घरेलू और औद्योगिक सीवेज और अपशिष्ट को शोधित किया जा सके, किसी भी कचरे के यमुना में फैलने से रोकने के लिए कदम उठाना इत्यादि। यमुना नदी में एक प्रकार का ठोस अपशिष्ट, चाहे वह निर्माण मलबा हो या पूजा सामग्री/प्रसाद या नगरपालिका अपशिष्ट आदि के अवशेष।

हरियाणा राज्य द्वारा उठाए गए कदम

1. पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार ने अपने आदेश दिनांक 23.07.2018 के तहत जिला गुरुग्राम, मेवात, फरीदाबाद और पलवल के विधायकों को सदस्य और एमएस, एच.पी. सी.बी. को सदस्य संयोजक के रूप में एक समिति का गठन किया है। इसके अलावा, एसीएस, पर्यावरण और पीएस, सिंचाई को भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समिति की बैठकें दिनांक 12.12.2018, 17.01.2019, 15.09.2020, 18.08.2021 एवं 11.05.2022 को आयोजित की जा चुकी हैं। अंत में, यह निर्णय लिया गया कि पीएचईडी, यूएलबीडी, सिंचाई, एचएसपीसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए जो गुरुग्राम और आगरा नहर के प्रदूषित पानी के उपचार के लिए उपचार पद्धति/तकनीक का सुझाव दे। जांच के बाद, समिति ने देखा है कि नाली के प्रदूषित पानी की उपचार लागत 1900 रूपए से 3300 रूपए प्रति मिलीयन लीटर होगी जो बहुत अधिक है। इस संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति पीएचईडी द्वारा निष्पादित की जानी थी लेकिन उच्च लागत के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया गया।
2. राज्य सरकार ने भी यमुना एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें हरियाणा के उन सभी 11 नालों में प्रदूषण के नियंत्रण की परिकल्पना की गई है, जो यमुना नदी में उपचारित/अनुपचारित एफ्लूएन्ट ले जाते हैं। नालों में प्रदूषण के नियंत्रण से प्रदूषित जल यमुना नदी में नहीं जाएगा जिससे आगरा नहर निकलती है।

3. हरियाणा राज्य द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है। सीवेज और औद्योगिक प्रवाह के उपचार में शामिल सभी हितधारक विभाग जैसे पीएचईडी, यूएलबीडी, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी और जीएमडीए कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बैठक में भाग लेते हैं। कार्य योजना में मौजूदा एसटीपी/सीईटीपी का निर्माण/सुधार, गैर-अनुमोदित क्षेत्रों से सीवेज डालना और सीवेज का अवरोधन, एचएसपीसीबी द्वारा जल प्रदूषणकारी उद्योगों की नियमित निगरानी और ऐसे उद्योगों की नियमित निगरानी और ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करना आदि शामिल हैं।
4. माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने भी यमुना नदी और गुरुग्राम नहर में प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में दिनांक 04.02.2019 को मुख्यमंत्री, दिल्ली के डीओ पत्र लिखा है।

निष्कर्ष:-

कार्य योजना के कार्यान्वयन के साथ, पिछले कुछ वर्षों में आगरा नहर के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसे बायो कॅमिकल ऑक्सीजन डीमांड पैरामीटर के रूप में निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:-

क्रमांक	वर्ष	बीओडी मिलीग्राम/लीटर
1	2017	40
2	2018	29
3	2019	24
4	2020	22
5	2021	19
6	2022	27

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा कार्य योजना की बहुत बारीकी से समीक्षा की जा रही है और निकट भविष्य में समस्या की काफी हद तक समाधान होने की उम्मीद है। शीघ्र ही पड़ोसी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री के साथ अंतरराज्यीय बैठक आयोजित करने की योजना है।